कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

संस्था स्तर काउंसलिंग

(College Level Counselling)

सत्र 2020–21

अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

(मध्यप्रदेश स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तीय एवं निजी संस्थाओं हेतु)

(विभिन्न पाठ्यक्रमों में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु चांस के लिये)

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

- बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (पूर्णकालिक/अंशकालिक)
- बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर
- बी.–प्लानिंग
- बी.–डी. फार्मेसी
- बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी
- एम.बी.ए. (पूर्णकालिक/अंशकालिक)
- एम.सी.ए.
- एम.टेक.–एम.ई. (पूर्णकालिक/अंशकालिक)
- एम.फार्मेसी
- एम.बी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)
- एम.सी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)
- फार्म–डी (पूर्णकालिक 6 वर्ष)
- लेटरल एण्ट्री–(बी.ई.–बी.फार्मेसी)
- डिप्लोमा–इंजीनियरिंग (पीपीटी)
- डिप्लोमा–नॉन–पीपीटी
- डिप्लोमा–अम्बेडकर–एकलव्य योजनान्तर्गत

मध्यप्रदेश में स्थित तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग चरणों के उपरान्त रिक्त सीटों के लिये संस्था स्तर काउंसलिंग (CLC) आयोजित की जायेगी।

संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगीः–

1. प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये संस्था स्तर की काउसंलिंग हेतु पंजीयन करा चुके अभ्यर्थी, अधिकृत वेबसाइट पर संस्था/ब्रांच की उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर उपरोक्त दर्शायी गई तिथियों पर प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये इच्छुक संस्था में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 तक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक है। तत्पश्चात मेरिट के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

2. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये जारी की गई समय–सारणी के अनुसार संस्था स्तर की काउसलिंग संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिये आयोजित की जावेगी।

3. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर **संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC)** के लिये निर्धारित समय–सारणी में उपलब्ध **प्रथम दिनांक** को संस्था द्वारा काउसंलिंग करना अनिवार्य है, सीट रिक्त रहने पर समय–सारणी में दर्शित **अगली दिनांक** को **संस्था स्तर की काउसंलिंग(CLC)** आयोजित की जावेगी।

4. काउंसलिंग वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर संस्था/ब्रान्च वार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।

5. संबधित पाठ्यक्रमों की नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

- **बी.ई.** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **जेईई मेन–2020** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

- **बी.आर्किटेक्चर** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम आर्किटेक्चर परिषद **(Council of Architecture)** द्वारा आयोजित **नाटा परीक्षा (NATA Exam)** में **योग्य वैद्य स्कोर कार्ड (Qualified Valid Score Card)** प्राप्त अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के अकों का 50 प्रतिशत एवं नाटा प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अकों को जोड़ कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर जेईमेन्स–2020 पेपर–2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा।

- **बी.प्लानिंग** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **जेईई मेन–2020** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

- **एम.बी.ए.** (पूर्णकालिक/अंशकालिक) पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **सीमैट (CMAT)** 2020 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

    - ➢ तदोपरान्त रिक्त सीटों पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यथियों के स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

    - ➢ तदोपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दिया जावेगा।

    - ➢ प्रावधिक रूप से प्रवेशित अभ्यथियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन **(Enrolment)** से पूर्व अर्हकारी परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम की अंक सूची प्रस्तुत कर एआईसीटीई द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता सुनिश्चित करवाना होगी अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

- **एम.सी.ए.** पाठ्यक्रमों के लिये **प्रथमतः स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर** प्रवेश दिया जावेगा।
  - **तदोपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक** प्रवेश दिया जावेगा।
  - प्रावधिक रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन **(Enrolment)** से पूर्व अर्हकारी परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम की अंक सूची प्रस्तुत कर एआईसीटीई द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता सुनिश्चित करवाना होगी अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- **एम.टेक.–एम.ई. (पूर्णकालिक/अंशकालिक)** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **गेट (GATE) परीक्षा के मान्य स्कोर (Valid Score) की** मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
  - **एमई/एम.टेक** पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की ब्रान्च एवं प्रवेश के लिये इच्छुक ब्रान्च की समतुल्यता, आरजीपीवी, भोपाल द्वारा प्रदत्त समतुल्यता अनुसार होने पर ही प्रवेश की कार्यवाही जायेगी।
- **एम.फार्मेसी** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **जीपेट (GPAT) परीक्षा के मान्य स्कोर (Valid Score)** की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **बी.ई.** (अंशकालिक) पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **फार्मेसी (बी.–डी.)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **बी.एच.एम.सी.टी.**पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **एम.सी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)** पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **एम.बी.ए एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **फार्म–डी (पूर्णकालिक 6 वर्ष)** पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- **लेटरल एण्ट्री–(बी.ई.–बी.फार्मेसी)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

- **डिप्लोमा इंजीनियरिंग** पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- **डिप्लोमा (नॉन पीपीटी)** पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- **डिप्लोमा पाठ्यक्रमों डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत** में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

6. **पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन शुल्कः–**

➢ **डिप्लोमा इंजीनियरिंग/डिप्लोमा (नॉन पीपीटी) पाठ्यक्रमों पंजीयन शुल्कः–**

- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें पृथक से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय शुल्क रू 230/– (कांउसलिंग शुल्क रु 200/– एवं पोर्टल शुल्क रु 30/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क रू 30/–(पोर्टल शुल्क) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

➢ **डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पंजीयन शुल्कः–**

- समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन के समय पोर्टल शुल्क रू 30/– देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

➢ **अन्य सभी पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन शुल्कः–**

- संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें पृथक से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय शुल्क रू 1430/– (कांउसलिंग शुल्क रु 400/–, आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/– एवं पोर्टल शुल्क रु 30/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)। प्रवेशित अभ्यर्थियों की आंशिक शिक्षण शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेशित संस्था में स्थानांतरित कर दी जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क रू 1030/– (आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/– एवं पोर्टल शुल्क रु 30/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों की आंशिक शिक्षण शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेशित संस्था में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

➢ **काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यमः–**

- ई–वालेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

7. **दस्तावेजों का सत्यापनः–**

- संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) हेतु पंजीकृत (Registered) अभ्यर्थियों का अपलोडेड दस्तावेजों (Uploaded documents) के आधार पर सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाया जायेगा। जिसमें अभ्यर्थी के पात्रता/अपात्रता की सूचना अभ्यर्थी को, पंजीयन के समय दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी, अपात्र अभ्यर्थी, पंजीयन निरस्त लिंक पर जाकर पंजीयन निरस्त कर, पंजीयन में सुधार कर एवं सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः पंजीयन उपरान्त, संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश के लिये समिलित हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है दी जाती है, कि वे संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में भाग लेने हेतु पंजीयन की प्रारंभिक तिथियों में ही पंजीयन करावें जिससे सहायता केन्द्रों पर समय रहते ऑनलाईन सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो सके।

- संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) हेतु, यदि अभ्यर्थी पंजीयन की कार्यवाही पंजीयन की अंतिम तिथियों में करता है, एवं उसके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है तब भी अभ्यर्थी को प्रवेश का अवसर मिलेगा, **(अर्थात संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) की समय–सारणी अनुसार संस्था में उपस्थित होने वाले सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जायेगा)**। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी प्रवधिक–प्रवेश के उपरान्त सहायता केन्द्र (Help center) पर ऑनलाइन सत्यापन में अपा्त्र हो जाते हैं, इस संबंध में (SMS) के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित किया जावेगा एवं अभ्यथ्री का प्राविधक–प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, इसकी समस्त जवाब देही संस्था की होगी। यदि संस्था में संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही निरंतर जारी है और अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है तो पुनः पंजीयन की कार्यवाही समस्त सही दस्तावेजों (Correct document) के साथ कर प्रवेश प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

8. **इच्छित संस्था में प्रवेश के लिये उपस्थिति एवं संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & admission in the Institute)**

- संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेशित समस्त प्रवेश प्रावधिक रहेंगे। अभ्यर्थियों एवं संस्थाओं को सलाह दी जाती है, कि पाठ्यक्रम की पात्रता सुनिश्चित कर पंजीयन/प्रवेश की कार्यवाही करें।

- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये जारी की गई समय–सारणी अनुसार, संस्था स्तर काउसलिंग दिनांक को अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ इच्छुक संस्था में उपस्थित हो कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

- संस्था स्तर काउसलिंग की निर्धारित तिथि पर संस्था में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट अनुसार संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

- ऑनलाइन प्रवेश के तुरंत बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उस प्रवेश पर्ची में संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हों।
- प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेटस को वेबसाइट पर उपलब्ध **चैक कैंडिडेट स्टेटस** की लिंक पर भी अवश्य मिलान कर लें।
- अभ्यर्थी मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत अनिवार्य रुप से वापिस प्राप्त करें।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा न करें। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टीसी) की मूल प्रति तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करें।
- अभ्यर्थी ए.फ.आर.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षिणिक शुल्क से अधिक शुल्क जमा ना करे।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया जाता है अथवा संस्था द्वारा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- **काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइटः–** dte.mponline.gov.in
- सम्पर्क फोन नं. 0755–6720205 एवं 0755–2660441

सही
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश